शिया सेन्ट्रल बोर्ड आफ़ वक़्फ़स, उ० प्र०
८१७, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ
Shia Central Board of Waqfs, U.P.
817, Indira Bhawan, Ashok Marg, Lucknow
Ph. : 0522-2286497, 3209108

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اتر پردیش
۸۱۷، اندرا بھون، اشوک مارگ، لکھنؤ
فون نمبر : ۰۵۲۲-۲۲۸۶۴۹۷، ۳۲۰۹۱۰۸

Ref. No. 92-1 Dated : 07-05-2012

प्रेषक,

सै० गुलाम सययदैन रिज़वी,
प्रशासनिक अधिकारी।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः–वक्फ हुसैनी सरॉए नं0–1546, रामपुर के पूर्व मुतवल्ली श्री नवाब काज़िम अली खां उर्फ नवेद मियां तथा श्री मुनीरूज़्ज़मां उर्फ गुलरेज़ खां के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाई किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि बोर्ड ने अवकाफ रामपुर के पूर्व मुतवल्ली श्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां व श्री मुनीरूज़्ज़मा खां उर्फ गुलरेज खां के विरूद्ध बिना अनुमति बोर्ड श्री नासिर खां पुत्र श्री अनवर अली खां माज़िया कान्सट्रक्शन से मिली–भगत कर वक्फ सम्पत्ति पर अवैध निर्माण करा कर भोले–भाले व्यक्तियों को धोखा देकर 01 लाख 55 हजार रूपया प्रति व्यक्ति अवैध रूप से वसूलने का कार्य किया गया है तथा मा0 अध्यक्ष शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड श्री सै0 वसीम रिज़वी द्वारा उनके विरूद्ध नियमानुसार की गयी कार्यवाई के चलते उनको तथा उनके परिवार को लोगों को जान से मार देने की धमकियां दी गयी। बोर्ड द्वारा इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, रामपुर को पत्र संख्या–33 दिनांक 16–4–2012 भेजा जा चुका है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। उक्त पत्र पर नियमानुसार कोई कार्यवाई किया जाना बोर्ड के संज्ञान में नहीं आया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि बोर्ड के पत्र संख्या–33 दिनांक 16–4–2012 पर नियमानुसार कार्यवाई किये जाने के निर्देश पुलिस अधीक्षक, जनपद–रामपुर को जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

07.5.2012

(सै0 गुलाम सययदैन रिज़वी)
अध्यक्ष

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش
فرد احکام

जांच आख्या

प्रशासनिक अधिकारी,

बोर्ड के आदेश दिनांक 20-01-2015 के अनुपालन में वक्फ हुसैनी सरॉए, I-1546, रामपुर की वक्फ सम्पत्ति से संबंधित कार्यालय बोर्ड में अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। वक्फ की पत्रावली में संलग्न वक्फ सम्पत्ति का दस्ती रक्शा जिसमें वक्फ सम्पत्ति की कुल पैमाइश दर्ज है, प्राप्त हुआ तोकि जांच आख्या के साथ संलग्न है। मौके का निरीक्षण किया गया। बोर्ड द्वारा दिनांक 20-01-2015 को लिये गये निर्णय के अनुपालन में जिलाधिकारी/अपर सर्वे आयुक्त, रामपुर द्वारा वक्फ सम्पत्ति पर बनी बवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है जिसका मल्बा वक्फ सम्पत्ति पर पड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त दस्ती नक्शा के अनुसार मौके पर अनेक अवैध रूप से किये गये निर्माण मौजूद है। प्रकरण में उचित होगा कि वक्फ सम्पत्ति के दस्ती नक्शे जोकि वक्फ अधिनियम की धारा-37 के अनुसार बोर्ड में दर्ज कुल वक्फ सम्पत्ति के अनुसार बनाया गया है, को पूर्ण रूप से अवैध कब्जा-मुक्त कराया जाना उचित होगा। इस संबंध में बोर्ड अपने स्तर से निर्णय लेना चाहें।

आख्या प्रेषित है।

02.12.2015

(मुन्तज़िर मेहदी)
यू0डी0ए0
कर्मचारी बोर्ड

कार्यालय अपर जिलाधिकारी, रामपुर ।

पत्रांकः 298 / आ०लि०-अ०लि०प०   दिनाँक–अप्रैल 9, 2012

जिलाधिकारी,
रामपुर।

महोदय,

अध्यक्ष, शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड उ0प्र0, के पत्रांक सं0.कैम्प/रामपुर/01 दिनाँक 01.04.2012 पर अंकित आदेश के अनुपालन में वक्फ नम्बर आई 1546 हुसैनी सराय शिया वक्फ सम्पत्ति पर बनाये जा रहे शॉपिंग काम्पलेक्स के सम्बन्ध में तीन सदस्य जॉच कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी द्वारा अपनी जांच आख्या दिनाँक–08.04.2012 को प्रस्तुत की गयी है। जॉच समिति ने जांच आख्या में यह पाया है कि सम्बन्धित मुतवल्ली द्वारा मुसाफिरखाने के नाम से भ्रमित करते हुए एक बड़े व्यवसायिक काम्पलेक्स का निर्माण भारी मुनाफा कमाने की नियत से किया गया है जोकि वक्फ की गयी सम्पत्ति के उद्देश्यों के विपरीत है। कृपया उक्त जॉच आख्या को अध्यक्ष, शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, उ0प्र0 को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकःउक्त जांच आख्या।

09/04/2012

(सत्य प्रकाश पटेल)
अपर जिलाधिकारी,
रामपुर।

जॉंच रिपोर्ट

अध्यक्ष, शिया सेन्ट्रल बोर्ड आफ वक्फ, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने संदर्भ संख्या कैम्प/रामपुर/01 पत्रांक मेमो दिनांक 01.04.2012 के अंतर्गत दिये गये आदेश के अनुपालन में वक्फ संख्या I–1546 हुसैनी सराय शिया वक्फ संपत्ति पर बनाये जा रहें शापिंग काम्पलैक्स की जॉच के संबंध में जिलाधिकारी महोदय, के आदेश दिनांक 01.04.2012 के द्वारा अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की अध्यक्षता में निम्न अधिकारियों की जॉंच कमेटी गठित की गयी।

1– उप जिला मजिस्ट्रेट सदर, रामपुर।

2– सहायक सर्वे वक्फ आयुक्त, रामपुर।

3– सहायक अभियन्ता, रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर।

उक्त जॉंच समिति द्वारा संयुक्त रूप से हुसैनी सराय स्थित सिविल लाइन निकट विकास भवन का स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखों का परीक्षण किया गया तथा अध्यक्ष, शिया वक्फ बोर्ड द्वारा अपने सन्दर्भित पत्र में दिये तथ्यों के कम में बिन्दुवार जॉंच आख्या निम्नवत् है:–

अध्यक्ष, वक्फ बोर्ड, के अनुसार वक्फ हुसैनी सराय I–1546 की भूमि पर 68 व 30 कुल 98 दुकानें बनाये जाने की अनुमति मुतवल्ली के अनुरोध पर 06 निम्न शर्तों पर प्रदान की गयी थी।

1– यह कि प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार ही दुकानों का निर्माण किया जाएगा।
2– यह कि दुकानों के निर्माण हेतु प्रस्तुत किये गये ऑकड़ो के अनुसार ही निर्माण कराया जाएगा।

3– यह कि निर्माण में किसी प्रकार की कमी होने के कारण निर्माण को अगर कोई क्षति पहुॅंचती है तो, उक्त क्षति से कोई अन्य नुकसान व कोई अप्रिय घटना घटित होती है या किसी का जानी व माली नुकसान व कोई व्यक्ति चोटिल होता है तो उसकी समस्त

SDM 8/4/11   A.W.C   AE RDA

जिम्मेदारी प्रबन्ध कमेटी की होगी, जिसको अनुमति प्रदान की जा रही है ऐसी दशा में बोर्ड निमयानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

4– यह कि निर्माण के बाद 68 व 30 दुकानों की किरायेदारी जिसके निर्माण के लिए बोर्ड द्वारा अनुमति प्रदान की जा रही है, की किरायेदारी नियमानुसार सर्किल रेट से की जाएगी।

5– यह कि वक्फ की दुकानों की किरायेदारी गैर शरई व गैर कानूनी कार्य किया जाना प्रतिबन्ध है, जिसके लिए दुकान के किरायेदारी कदापि नहीं की जा सकेगी।

6– यह कि कुल 98 दुकानों के निर्माण के पश्चात वक्फ नामे के अनुसार मुसाफिर खाना (हुसैनी सराय) बनाये जाने हेतु दुकानों की छत पर मुसाफिर खाने का मानचित्र व आंकलन बोर्ड के समक्ष शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें। (एनेक्सर – 1)

<u>शर्त संख्या 1</u> के विषय में जॉच के समय पाया गया कि 98 दुकानें वक्फ बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गयी है परन्तु स्थल पर निरीक्षण के दौरान सहायक अभियन्ता, रामपुर विकास प्राधिकरण की आख्या के अनुसार वक्फ बोर्ड की स्वीकृति के अतिरिक्त 13 दुकानों का निर्माण अधिक पाया गया है, कुल स्वीकृत 98 दुकानों में से 10 दुकानों का निर्माण कार्य अभी डी0पी0सी0 तल तक ही किया गया है। इस प्रकार वक्फ बोर्ड की प्रथम शर्त का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। (एनेक्सर – 2)

<u>शर्त संख्या 2</u> के विषय में जॉच के समय पाया गया कि दुकानों के निर्माण हेतु प्रस्तुत किये गये ऑकडों (नक्शे) के अनुसार निर्माण नहीं कराया गया है, मौके पर स्थलीय निरीक्षण के समय कुछ दुकानें प्रस्तावित ऑकड़ो (नक्शे) से भिन्न पायी गयी है।(एनेक्सर –3 2)

<u>शर्त संख्या 3</u> के विषय में कहना है कि निर्माण के समय किसी प्रकार की क्षति व अप्रिय धटना होना नहीं पाया गया।

<u>शर्त संख्या 4</u> के विषय में कहना है कि किरायेदारी सर्किल रेट पर होना नहीं पाया गया। श्री वल्लीउल्ला खॉ पुत्र सईदउल्ला खॉ, निवासी ज्यारत हल्केवाली, रामपुर के हुसैनी सराय व्यवसायिक केन्द्र के पंजीकरण प्रपत्र रसीद दिनांक 27.01.2012 से स्पष्ट है कि दो

SDMS AWC AE RDA

दुकानों के आंवटन हेतु रू0 1,55,000.00 पगड़ी के रूप में तथा दुकान का मासिक किराया रू0 400 प्रतिमाह की दर 11 माह का प्रति दुकान का अनुबंध किया गया है (पंजीकरण प्रपत्र एनेक्सर 3 के रूप में संलग्न है)। जबकि उक्त स्थल का किरायेदारी सर्किल रेट रू0 2156 है। इस प्रकार समस्त दुकानों का पंजीकरण उपरोक्तानुसार ही किया गया है, जो सर्किल रेट एवं वक्फ बोर्ड के निर्देशों के विपरीत है। सर्किल रेट सूची - संलग्नक — 4

शर्त संख्या 5 के विषय में कहना है कि उक्त दुकानों में व्यवसाय प्रारम्भ होने पर ही दुकानों की किरायेदारी गैर शरई व गैर कानूनी कार्य करने के बारे में स्थिति स्पष्ट किया जाना सम्भव हो सकेगा।

शर्त संख्या 6 के विषय में कहना है कि दुकानों के निर्माण के पश्चात वक्फ नामा के अनुसार मुसाफिर खाना (हुसैनी सराय) का निर्माण कराएगें, परन्तु स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात यह बात संज्ञान में आयी कि दुकानों के निर्माण के ऊपर मुसाफिर खाने के निर्माण का कोई प्राविधान नहीं रखा गया है। उक्त दुकानों के लेआउट के अनुसार भूमितल पर निर्मित दुकानों के ऊपर प्रथम दृष्टया मुसाफिर खाने के निर्माण हेतु इस प्रकार के प्लान की कोई अभिकल्पना नहीं की गयी है और स्वीकृत मानचित्र के लेआउट के अनुसार इतने बडे व्यवसायिक निर्माण हेतु वाहन की पार्किंग, अग्निशमन के संबंध में व रेन वाटर हारवेस्टिंग का भी कोई प्राविधान नहीं किया गया है, जैसा कि सहायक अभियन्ता, रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर की आख्या दिनांक 06.04.2012 स्पष्ट है (एनेक्सर 4 के रूप में संलग्न है)।

श्री नवाब काज़िम अली खॉं, मुतवल्ली वक्फ द्वारा हुसैनी सराय को कार्यालय के पत्रांक 07 दिनांक 04.04.2012 के अंतर्गत बजरिये नोटिस अपना साक्ष्य व पक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया किन्तु निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कोई जवाब प्राप्त न हो सका (नोटिस की छायाप्रतियॉं एनेक्सर 5 के रूप में संलग्न हैं)।

जॉच के समय यह भी पाया गया कि श्री नवाब काज़िम अली खॉं, मुतवल्ली ने हुसैनी सराय की वक्फ भूमि पर उक्त दुकानों का निर्माण प्राईवेट बिल्डर (माजिया कंसट्रक्शन कम्पनी) द्वारा कराया गया, जबकि शिया सेन्ट्रल बोर्ड आफ वक्फ, लखनऊ द्वारा मात्र मुतवल्ली को दुकानात निर्माण कराये जाने की अनुमति दी गयी थी और मुतवल्ली को

SDM S, BWC AE RDA

प्राईवेट बिल्डर से अनुबन्ध करने की अनुमति नहीं दी गयी थी। शिया सेन्ट्रल बोर्ड आफ वक्फ की अनुमति के अनुसार मुतवल्ली द्वारा स्वंय निर्माण न कराकर माज़िया कन्सट्रेक्शन कम्पनी से निर्माण कराया जाना पाया, जो शिया वक्फ बोर्ड से प्राप्त अनुमति के विपरीत है। अभिलेखीय परीक्षण के उपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत अनुबंध में हुसैनी सराय बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं हैं, जिससे स्वतः स्पष्ट है कि मुतवल्ली द्वारा शिया वक्फ बोर्ड को भ्रमित कर वक्फ बोर्ड की शर्तों का स्वार्थ पूर्ति व भारी मुनाफा कमाने की नियत से उल्लधंन किया गया है।

रामपुर स्टेट गजट दिनांक 26 अप्रैल 1942 जिल्द संख्या 55 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि नवाब रज़ा अली खॉ द्वारा हज़रत इमाम हुसैन के मसाइबे सफर की यादगार कायम करने के लिए एक मुसाफिर खाना हुसैनी सराय के नाम से कायम किया जाना था, जिसमें विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोग जो रामपुर आएगें उनको ठहरने का एक उचित स्थान प्राप्त हो सके, किन्तु नवाब रज़ा अली खॉ (वाकिफ) की मंशा एवं उद्देश्य के विपरीत संबंधित मुतवल्ली द्वारा उक्त भूमि पर भारी मुनाफा कमाने के दृष्टिकोण से शापिंग काम्पलैक्स का निर्माण कराया गया है और शापिंग काम्पलैक्स की दुकानों का आवंटन मोटी रकम बिल्डर द्वारा प्राप्त कर मुतवल्ली की सांठ–गांठ से प्राईवेट बिल्डर ने धर्मार्थ वक्फ संपत्ति का अस्तित्व समाप्त किया है, जो वक्फडीड एवं वक्फ अधिनियम के विरुद्ध है। (रामपुर गजट की छायाप्रतियॉ एनेक्सर-6 के रूप में संलग्न हैं)

नवाब काज़िम अली खॉ, मुतवल्ली द्वारा दिनांक 06.02.2011 को श्री नासिर अली खॉ, (निदेशक, माजिया कन्सट्रेक्शन कम्पनी) पुत्र श्री अनवर अली खॉ, साकिन मस्जिद कैथ, रामपुर के बीच बिना वक्फ बोर्ड की अनुमति के अनुबंध किया गया है कि हुसैनी सराय (रकबा 4000 वर्ग गज) पर श्री नासिर अली खॉ द्वारा एक शापिंग काम्पलैक्स का निर्माण मय मैटेरियल के अपने खर्चे से करगें और शापिंग काम्पलैक्स तैयार होने पर दुकानों जो किराये पर उठाई जाएगी उसकी वसूली श्री नासिर खॉ, करेगें और रकम स्वंय अपने पास रखगें। इस रकम का मुतवल्ली से कोई वास्ता नहीं होगा और यह वक्फ में जमा नहीं की जाएगी। इस अनुबन्ध में मुसाफिर खाने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया और न ही वक्फ बोर्ड को दुकानों से प्राप्त आय का 7 प्रतिशत अंशदान अदा किये जाने का कोई उल्लेख अनुबंध में नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि वक्फ संपत्ति से

SDM S AWC AE RDA

होने वाली आय को इन्होनें निजी संपत्ति माना जबकि यह पूर्णतया धर्मार्थ वक्फ संपत्ति है, जिसे किसी अनाधिकृत व्यक्ति (नासिर अली खॉं) को दिया जाना वक्फ की आय का दुरूपयोग एवं घोर वित्तीय अनियमितता है। प्राईवेट बिल्डर से नियमानुसार किसी प्रकार का कोई भी अनुबंध मुतवल्ली द्वारा किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। ऐसी स्थिति में यह अनुबंध भी वक्फ बोर्ड के आदेशों के विपरीत है। (एनेक्सर – 8)।

अतः उपरोक्त संयुक्त स्थलीय जॉंच एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों के गहन अध्ययन करने के पश्चात जॉंच समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि मुतवल्ली द्वारा मुसाफिर खाने के नाम से भ्रमित करते हुए एक बड़े व्यवसायिक काम्पलैक्स का निर्माण कर वक्फ संपत्ति के अस्तित्व को समाप्त करने एवं अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति तथा भारी मुनाफा कमाने हेतु किया गया है, जोकि वाकिफ की इच्छा व वक्फ बोर्ड के आदेशों के विपरीत प्रतीत होता है।

अतः संयुक्त जॉंच आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक – यथोपरि

21.4.12	21.4.12	21.4.2012
उप जिला मजिस्ट्रेट सदर,	सहायक सर्वे वक्फ आयुक्त	सहायक अभियन्ता,
रामपुर	रामपुर	रामपुर विकास प्राधिकरण,
		रामपुर

(Enex-1)

शिया सेन्ट्रल बोर्ड आफ वक्फ़्स, उ० प्र०

317, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ

Shia Central Board of Waqfs, U.P.

317, Indira Bhawan, Ashok Marg, Lucknow

Ph : 0522-2286497, 3209108

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اتر پردیش

۳۱۷، اندرا بھون، اشوک مارگ لکھنؤ

فون نمبر : ۰۵۲۲-۲۲۸۶۴۹۷، ۳۲۰۹۱۰۸

(19)

Ref. No. 496

Dated : 07-02-2012

6R/080/2012

City Magistrate/

DMWO/

प्रेषक,

सै० गुलाम सय्यदैन रिज़वी,
प्रशासनिक अधिकारी।

सेवा में,

डॉ० बलकार सिंह,
अपर सर्वे कमिश्नर वक्फ/जिलाधिकारी,
जनपद-रामपुर।

2. रमेश चन्द्र शुक्ला,
डिप्टी कलेक्टर/सचिव,
रामपुर विकास प्राधिकरण,
रामपुर।

विषय: संख्या-टी-1546 वक्फ हुसैनी सराय, रामपुर पर दुकानों के निर्माण की दी गयी अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके पत्रांक-1064(2)/वक्फ-शिया/2011-12 दिनांक 20 दिसम्बर, 2011के सम्बन्ध में है। आपको अवगत कराना है कि बोर्ड द्वारा उक्त वक्फ हुसैनी सराय की सम्पत्ति पर 68 व 30 दुकानों के निर्माण हेतु मुतवल्ली के अनुरोध पर उक्त किरा न सर्किल रेट से किरायेदारी किये जाने के निर्देश तथा अन्य शर्तों पर आधारित अनुमति प्रदान की गयी है, जिसकी शर्तें निम्नलिखित हैं।

1. यह कि प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार ही दुकानों का निर्माण किया जायेगा।
2. यह कि दुकानों के निर्माण हेतु प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के अनुसार ही निर्माण कराया जायेगा।
3. यह कि निर्माण में किसी प्रकार की कमी होने के कारण निर्माण को अगर कोई क्षति पहुँचती है तो उक्त क्षति से कोई अन्य नुकसान व कोई अप्रिय घटना घटित होती है या किसी का जानी व माली नुकसान व कोई व्यक्ति चोटिल होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रबन्ध कमेटी की होगी, जिसको अनुमति प्रदान की जा रही है ऐसी दशा में बोर्ड नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगा।
4. यह कि निर्माण के बाद उक्त 68 व 30 दुकानों की किरायेदारी जिसके निर्माण के लिए बोर्ड द्वारा अनुमति प्रदान की जा रही है, की किरायेदारी नियमानुसार सर्किल रेट से की जायेगी।
5. यह कि वक्फ की दुकानों की किरायेदारी गैर शरई व गैर कानूनी कार्य किया जाना प्रतिबन्ध है, जिसके लिए दुकान की किरायेदारी कदापि नहीं की जा सकेगी।

क्रमशः....2

शिया सेन्ट्रल बोर्ड आफ़ वक्फ़स, उ० प्र०

८१७, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ

Shia Central Board of Waqfs, U.P.

817, Indira Bhawan, Ashok Marg, Lucknow

Ph. : 0522-2286497, 3209108

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

۸۱۷، اندرا بھون، اشوک مارگ، لکھنؤ

فون نمبر: ۰۵۲۲-۲۲۸۶۴۹۷، ۳۲۰۹۱۰۸

(18)

Ref. No. ____________ Dated : ____________

6. यह कि कुल 98 दुकानों के निर्माण के पश्चात् वक्फनामे के अनुसार मुसाफिरखाना (हुसैनी सराँए) बनाये जाने हेतु किये गये अनुरोध के अनुसार दुकानों की छत पर मुसाफिरखाने का मानचित्र व आंकलन बोर्ड के समक्ष शीघ्र अतिशीघ्र प्रस्तुत करें।

वक्फ सम्पत्ति पर 68 व 30 दुकानों के निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति कर अनुमति दी गयी है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-379/वक्फ-94-338/94 मुस्लिम वक्फ विभाग, लखनऊ दिनांक 14 मार्च, 1994 के आदेश की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न है, जिसमें स्पष्ट अंकित है कि मुस्लिम वक्फ अनुभाग के शासनादेश संख्या-379/वक्फ-294/94 दिनांक 04 फरवरी, 1994 के माध्यम से उक्त विषयक आदेश द्वारा वक्फ सम्पत्तियों पर व्यवसायिक केन्द्र आदि बनाये जाने की अनुमति यदि सुन्नी अथवा शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा स्वीकृति कर ली गयी है, तो ऐसे व्यवसायिक केन्द्रों आदि के लिए संबंधित विकास प्राधिकरण से अनुमति लेना अनिवार्य नहीं होगा। पत्र के साथ शासनादेश संख्या-379/वक्फ-94-338/94 संलग्न है।

आप द्वारा अपने पत्र संख्या-1084ए0/वक्फ-शिया/2011-12 दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 को बिन्दु नम्बर-4 में कहा है कि हुसैनी सराँए पर मुसाफिरखाना के निर्माण हेतु रामपुर के नवाब स्व0 श्री रजा अली खां द्वारा सन् 1942 में यात्रियों से ठहरने हेतु सराँए ~~[illegible]~~ के निर्माण के लिए भूमि वक्फ की गयी थी जोकि सत्य है। बोर्ड द्वारा दिनांक 17.8.2009 को मुतवल्ली के अनुरोध पर पाँच बिन्दुओं पर आधारित सशर्त अनुमति 68 व 30 दुकानों की अनुमति दी गयी थी। वक्फ के मुतवल्ली द्वारा अपने अनुरोध पत्र दिनांक 13.8.2009 के अन्तर्गत बोर्ड से अनुरोध किया था कि वक्फ हुसैनी सराँए की भूमि पर 68 व 30 दुकानों का निर्माण कराये जाने व निर्माण के बाद उक्त निर्माण के माध्यम से प्राप्त हुई आय से दुकानों के ऊपर हुसैनी सराँए का निर्माण कराया जायेगा तथा उक्त दुकानों से होने वाली वार्षिक आय से हुसैनी सराँए का रख-रखाव व प्रबन्ध किया जायेगा। हुसैनी सराँए का मानचित्र/प्रस्ताव वे दुकानों के निर्माण पूरा होने व उससे आय शुरू होने के पश्चात् बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे मुतवल्ली वक्फ का पत्र दिनांक 13.8.2009 पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

17.2.2012

(सै0 गुलाम सय्यदैन रिज़वी)
प्रशासनिक अधिकारी।

प्रेषक,

अपर सर्वे कमिश्नर वक्फ/जिलाधिकारी,
रामपुर।

सेवा में,

अध्यक्ष,
शिया सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ उ0प्र0,
817, इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

पत्रांक: 12 /वक्फ न0 1–1546/हु0स0–जांच/12 दिनाँक–अप्रैल 9,2012

विषयः– **वक्फ नम्बर 1–1546 हुसैनी सराय की जॉच आख्या का प्रेषण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने सन्दर्भ कैम्प/रामपुर/1 पत्रांक मैमो दिनाँक 01.04.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त संबंध में अपर जिलाधिकारी की वांछित जॉच आख्या मूल रूप में संलग्न करके उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:यथोपरि।

(अनिल ढींगरा)
अपर सर्वे कमिश्नर वक्फ/
जिलाधिकारी, रामपुर।